क्रमांकः–प.19(।)/एनपीएस/राज्य सरकार/2019–20/1004 दिनांकः– 27.01.2025

परिपत्र - 02

राज्य में दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों पर दिनांक 01.04.2022 से एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19.05.2022 को जारी अधिसूचना एवं राज्य सरकार से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों/स्पष्टीकरणों के अनुसरण में मुख्यालय द्वारा पूर्व में परिपत्रों/पत्रों दिनांक 25.01.2023, 22.02.2023, 02.06.2023, 26.06.2023, 17.07.2023, 25.01.2024 एवं 12.06.2024 के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गये थे।

इसी क्रम में, योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु विभिन्न जिला कार्यालयों द्वारा चाहे जा रहे मार्गदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए पुनः निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारण करते हुए दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. ऐसे कार्मिक जो दिनांक 01.04.2022 से पूर्व सेवानिवृत हो चुके है अथवा जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन प्रकरणों में यदि ओपीएस का लाभ लिया जाना हैं तो उन कार्मिकों के लिये एनपीएस ट्रस्ट से प्राप्त सकल कॉर्पस राशि (60% एकमुश्त राशि + पेंशन धन का 40% वार्षिकी सहित) अथवा (20% एकमुश्त राशि + पेंशन धन का 80% वार्षिकी सहित – स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रकरणों में) प्राप्त होने की दिनांक से राशि राजकोष में जमा कराये जाने की दिनांक तक सामान्य प्रावधायी निधि खाते पर प्रचलित ब्याज दर के ब्याज सहित राजकोष में बजट मद 0071–01–800–04–01 में जमा कराई जानी आवश्यक होगी।
2. दिनांक 01.04.2022 से पूर्व के प्रकरणों में संबंधित कार्मिकों द्वारा एनएसडीएल पोर्टल पर क्लेम सबमिट करने पर विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा सेवानिवृति/स्वैच्छिक सेवानिवृति के प्रकरणों में यदि कार्मिक ओपीएस लेना चाहता है तो दिनांक 19.05.2022 की अधिसूचना के अनुसार कार्मिक की समस्त समेकित पेंशन धन राशि राज्य के राजस्व मद में जमा होगी। यदि किसी अंशदाता द्वारा स्वैच्छिक रूप से राशि जमा कराई गई हो तो भी यह राशि राजस्व मद में अधिसूचना के अनुसार जमा होगी। दिनांक 01.04.2022 एवं इसके बाद के प्रकरणों में, नियमानुसार अंशदान के अतिरिक्त अंशदान जमा कराने को निजी अंशदान मानते हुए उक्त राशि को भी उपरोक्तानुसार जीपीएफ की समय–समय पर प्रचलित ब्याज दर से ब्याज लगाकर एकमुश्त लौटाया जायेगा।
3. ऐसे कार्मिकों, जिनकी मृत्यु/सेवानिवृति/स्वैच्छिक सेवानिवृति दिनांक 01.04.2022 अथवा इसके बाद हुई है, के प्रकरणों में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.05.2022 के अनुसार एनपीएस के स्थान पर ओपीएस ही देय होगी। इस अधिसूचना के क्रम में मृत्यु/सेवानिवृति/स्वैच्छिक सेवानिवृति के प्रकरणों में निम्न अनुसार प्रकिया अपनाई जायेगीः–

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Dhan Lal Sherawat
Designation : Director
Date: 2025.01.24 17:55:52 IST
Reason: Approved

i. मृत्यु प्रकरणों में अधिसूचना दिनांक 19.05.2022 के अनुसरण में मृतक कार्मिक के प्रान खाते में एनपीएस की जमा सकल कॉपर्स राशि जो कि डीटीओ (जिलाधिकारी) के एनपीएस बैंक खाते में प्राप्त होगी उसमें से उसके निजी अंशदान को आरपीएमएफ/आरजीएचएस के पेटे नियत राशि एवं पूर्व आहरित एनपीएस राशि (यदि कोई हो) को समायोजित करते हुए जीपीएफ की समय–समय पर प्रचलित ब्याज दर के साथ देय राशि मृतक कार्मिक के मनोनीत/दावेदार को एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। आरजीएचएस/ आरपीएमएफ से संबंधित कटौती को बजट मद 8342–00–120–(69)–00 में एवं शेष राशि पेंशन विभाग के बजट मद 0071–01–800–04–01 में जमा कराने का दायित्व संबंधित जिला कार्यालय का होगा।

ii. कार्मिक की मृत्यु के कारण उत्पन्न दावों में पेंशन बजट मद में राशि स्थानान्तरण से पूर्व जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेवें कि मृतक कार्मिक के दावेदार/मनोनीत पेंशन योग्य है अथवा नहीं, इस हेतु जिलाधिकारी मृतक कार्मिक के आहरण वितरण अधिकारी से उक्त के संबंध में सूचना प्राप्त कर लेवें, यदि कोई भी दावेदार/मनोनीत पारिवारिक पेंशन योग्य नहीं हो तो ऐसी स्थिति में दावेदार/मनोनीत को एनपीएस में जमा सकल कॉर्पस का एकमुश्त भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

iii. सेवानिवृति प्रकरणों में, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.05.2022 के अनुसार कार्मिकों की सकल समेकित पेंशन धन राशि राज्य के राजस्व मद में जमा होगी जो कि बजट मद 0071–01–800–04–01 में जमा की जानी है किन्तु पीएफआरडीए द्वारा राज्य के एनपीएस अंशदाताओं की सकल कॉर्पस राशि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में जमा नहीं करायी गई है। अतः अधिसूचना दिनांक 19.05.2022 के अनुसरण में कार्मिक के प्रान खाते में जमा सकल कॉपर्स राशि में से उसके निजी अंशदान राशि की गणना कर आरपीएमएफ/आरजीएचएस के पेटे नियत राशि तथा पूर्व आहरित एनपीएस राशि को समायोजित करते हुए जीपीएफ की समय–समय पर प्रचलित ब्याज दर से ब्याज गणना करते हुए देय राशि का समायोजन किया जायेगा।

4. कार्मिक की निजी अंशदान कटौतियों का सत्यापन किया जाकर आरपीएमएफ/आरजीएचएस की कटौतियों एवं एनपीएस से आहरित राशियों (यदि कोई हो) को जिस माह में आहरण किया गया है उसी माह में घटाया जायेगा एवं कार्मिक की शेष निजी अंशदान राशि को जीपीएफ की समय–समय पर प्रचलित ब्याज दर से ब्याज लगाते हुए कुल राशि की गणना की जायेगी ताकि समायोजन उपरान्त कार्मिक द्वारा जमा कराये जाने वाली राशि प्राप्त हो सके।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by D[illegible] Lal Sherawat
Designation : [illegible]or
Date: 2025.01.2[illegible]7:55:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 9486040

5. संबंधित कार्मिक की एनएसडीएल सीआरए पोर्टल पर दर्शाये गये सकल कॉर्पस राशि की प्रविष्टि एसआईपीएफ पोर्टल पर अनिवार्य रूप से की जायेगी जिससे कार्मिक की समायोजन योग्य राशि की गणना की जा सकेगी, उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त एसआईपीएफ पोर्टल (एनपीएस डैशबोर्ड) पर निम्नानुसार परिणाम प्रदर्शित होंगें–

क्र.सं.	**बिन्दु (परिणाम)**	**विवरण**
1	सीआरए में उपलब्ध सकल कॉर्पस	इसमें सीआरए द्वारा भुगतान योग्य राशि तथा ऐन्युटी हेतु रोकी गई राशि सभी सम्मिलित है।
2	कार्मिक का स्वयं का अंशदान मय जीपीएफ दर से ब्याज (आरपीएमएफ / आरजीएचएस एवं विड्रॉल को कम करते हुए)	निजी अंशदान की जीपीएफ दरों पर ब्याज सहित पोर्टल पर की गई गणना जिसमें से आरपीएमएफ / आरजीएचएस एवं विड्रॉल को कम करते हुए।
3	आरपीएमएफ / आरजीएचएस बजट मद 8342–00–120–(69)–00 में जमा योग्य राशि	उक्त राशि की गणना पोर्टल पर की जानी है।
4	पेंशन बजट मद 0071–01–800–04–01 में जमा योग्य राशि	4=1–(2+3) उक्त राशि का समायोजन सेवानिवृति पर देय ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेन्ट आदि से एकमुश्त किया जा सकेगा।

(उपर्युक्त तालिका के बिन्दु संख्या 3 एवं 4 में अंकित राशि कार्मिक द्वारा संबंधित बजट मदों में जमा करवाई जायेगी, चूंकि सेवानिवृति प्रकरणों में एनएसडीएल द्वारा एनपीएस क्लेम कार्मिक के खातों में जमा करवाया जाता है।
मृत्यु प्रकरणों में एनएसडीएल द्वारा एनपीएस क्लेम डीटीओ (विभागीय जिलाधिकारी) के एनपीएस बैंक खाते में जमा करवाया जाता है। अतः मृत्यु प्रकरणों में उपर्युक्त तालिका के बिन्दु 3 एवं 4 में अंकित राशियॉ डीटीओ (विभागीय जिलाधिकारी) द्वारा संबंधित बजट मदों में जमा करवाई जायेगी।)

6. दिनांक 01.04.2022 के पश्चात सेवानिवृत होने वाले ऐसे कार्मिकों जिन्हें पेंशन विभाग द्वारा सेवा उपादान (ग्रेच्युटी) एवं शेष उपार्जित अवकाशों के नकदीकरण की राशि का भुगतान नहीं किया गया है उन कार्मिकों से दावा प्रस्तुति के समय सहमति पत्र (**<u>संलग्न प्रारूप</u>**) मार्फत आहरण वितरण अधिकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक है जिसमें कार्मिक से सहमति प्राप्त की जायेगी कि वे वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.05.2022 के अनुसरण में एनपीएस की जो राशि राजकोष में जमा होनी अपेक्षित है के संबंध में संबंधित कार्मिक को देय ग्रेच्युटी, कम्युटेशन, लीव इनकैशमेन्ट आदि की राशि से समायोजन किये जाने के संबंध में अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करता हूँ। सहमति पत्र प्रदान नहीं किये जाने की स्थिति में कार्मिक का एनपीएस दावा एनएसडीएल को अग्रेषित नहीं किया जायेगा।

Validity unknown Signature valid
Digitally signed by D... Lal Sherawat
Designation : ...or
Date: 2025.01.2... 17:55:52 IST
Reason: Approved

7. ऐसे कार्मिक जिनकी सेवानिवृत्ति 01.04.2022 अथवा इसके पश्चात् हुई है तथा ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिन्हें पेंशन विभाग द्वारा सेवा उपादान (ग्रेच्युटी) एवं शेष उपार्जित अवकाशों के नकदीकरण की राशि का भुगतान कर दिया गया है, उनके दावे सीआरए (एनएसडीएल) पर अग्रेषित करने से पूर्व कार्मिक से जमा करवायी जाने योग्य राशि पेंशन बजट मद 0071–01–800–04–01 में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। इसके सम्बन्ध में एसआईपीएफ पोर्टल पर देय युटिलिटी कॉर्पस अपडेट करते हुए नियमानुसार कर्मचारी की प्रथम कटौती से अंतिम कटौती तक की लेजर पूर्ण करते हुए अंतिम रूप से पेंशन विभाग के बजट मद 0071–01–800–04–01 में जमा करवाये जाने की सूचना उपलब्ध करवाते हुए राशि पेंशन विभाग के बजट मद में जमा होने का प्रमाण प्राप्त करते हुए कार्मिकों के दावे एनएसडीएल पोर्टल पर अग्रेषित कर दिया जावे।
8. कार्मिक द्वारा प्रस्तुत दावे का समुचित परीक्षण विभाग के जिला कार्यालय स्तर पर किया जायेगा। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.05.2022 के अनुसार एनपीएस कॉर्पस राशि का नियमानुसार समायोजन होने पश्चात ही दावा जिला कार्यालय द्वारा एनएसडीएल को भुगतान हेतु अग्रेषित किया जायेगा।
9. दिनांक 01.04.2022 एवं उसके पश्चात् सेवानिवृत्ति के ऐसे प्रकरण जिनका निस्तारण राज्य सरकार के आदेश जारी होने से पूर्व अथवा पश्चात् किया जाकर उनकी सम्पूर्ण कॉर्पस राशि पेंशन विभाग के बजट मद 0071–01–800–04–01 में जमा करवा दी गई हो तो ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु बिन्दु संख्या 5 के अनुसार संभागीय अधिकारी की अनुशंषा सहित मुख्यालय को भिजवायी जावे ताकि कार्मिक की एनपीएस में जमा निजी अंशदान राशि का भुगतान सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरांत किया जा सके।
10. एनपीएस आंशिक आहरण (Debit) की प्रविष्टि एसआईपीएफ पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें। कार्मिक द्वारा आहरित आंशिक आहरण पुनः जीपीएफ–2004 मद मे जमा करवा दिया गया हो तो उसका भुगतान कार्मिक/मनोनीत को जीपीएफ–2004 मद से किया जावेगा।
11. ऐसे कार्मिक जो 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत हो गए हैं अथवा जिनके द्वारा सेवा से त्यागपत्र दिया गया है, उन कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अन्तर्गत सेवा उपादान नियमानुसार देय होने पर ही सेवा उपादान राशि का भुगतान किया जायेगा। 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त होने एवं सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सेवा उपादान राशि देय नहीं है। ऐसे कार्मिकों का राज्य सरकार द्वारा पीएफआरडीए में जमा करवाये गये राजकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित रिटर्न के बराबर राशि राजकोष में जमा करवाने पर उनके दावे एनएसडीएल पोर्टल पर प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
12. यदि कार्मिक द्वारा राज्य सरकार के हिस्से की राशि में से भी एनपीएस ट्रस्ट से कोई राशि प्रत्याहरित की गयी है तो उस राशि को भी जमा किया जावेगा।
13. राशि जमा होने के प्रमाणीकरण की सूचना आईएफएमएस 3.0 में जोडे जाने का प्रावधान किया जायेगा। जब तक यह प्रावधान नहीं हो जाता है तब तक विभाग द्वारा पेंशन विभाग को इस सम्बन्ध में सूचना प्रेषित की जायेगी।

Validity unknownSignature Valid

Digitally signed by D… Lal Sherawat
Designation : …or
Date: 2025.01.2…7:55:52 IST
Reason: Approved

14. कार्मिक की प्रथम कटौती से दिनांक 31.10.2011 तक की एनएसडीएल पोर्टल पर अनअपलोडेड लीगेसी राशियों का समायोजन बजट मद 0071–01–800–04–01 में तथा दिनांक 01.11.2011 से 31.03.2022 तक की शेष राशियों का समायोजन संबंधित बजट मद में मुख्यालय स्तर से किया जाना है, किसी कार्मिक की कोई भी कटौती एनएसडीएल पोर्टल पर स्थानान्तरित होने से रह गई हो तो उक्त कटौती को एसआईपीएफ पोर्टल पर अपडेट करते हुए सकल कार्पस में से समायोजित किया जाना है। किन्तु उपरोक्त कारणों से विभाग को प्राप्त होने वाले क्लेम्स के निस्तारण की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। उपर्युक्तानुसार एनपीएस दावा निस्तारण का कार्य अविलम्ब रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उक्त निर्देशों की तत्काल पालना सुनिश्चित की जावें तथा उक्त निर्देशों के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई/विरोधाभास उत्पन्न होता है तो तत्काल पूर्ण विवरण सहित अतिरिक्त निदेशक, जीपीएफ–2004 को सूचित करावें।

(धनलाल शेरावत)
निदेशक

क्रमांकः–प.19(I)/एनपीएस/राज्य सरकार /2019–20/1005-1011 दिनांकः–27.01.2025

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर (राज.)।
2. सयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. वरिष्ठ अति. सिस्टम को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त निर्देशानुसार एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 को अद्यतन करावे साथ ही जारी परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड़ किया जाना सुनिश्चित करें।
4. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर (राज.) को प्रेषित कर निवेदन है कि राज्य बीमा विभाग से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त हाने के उपरांत ही पेंशन स्वीकृति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावें।
5. मुख्यालय में पदस्थापित समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग/साधारण बीमा निधि, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त संभागीय कार्यालय ।
7. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त जिला कार्यालय।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Dhan Lal Sherawat
Designation : Director निदेशक
Date: 2025.01.24 17:55:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 9486040

राजस्थान सरकार

कार्यालय राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग ....।

वित्त विभाग के अधिसूचना दिनांक 19.05.2022 की अनुपालना में नवीन अंशदायी पेंशन प्रणाली (NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू किये जाने के फलस्वरूप कार्मिक को किये गए भुगतान का प्रमाण पत्र।

(उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2022 के पश्चात मृत्यु/ सेवानिवृत्ति प्रकरणों के लिए मान्य है।)

1.	नाम अंशदाता	....
2.	पद	
3.	विभाग	
4	प्रान नंबर	
5.	एम्प्लोई आई. डी	
6.	जन्म दिनांक	
7.	मूल वेतन	
8.	राजकीय सेवा में नियुक्ति दिनांक	
9.	सेवानिवृत्ति/मृत्यु दिनांक	
10	प्रथम कटौती दिनांक से सेवा0/ मृत्यु दिनांक तक एनपीएस में जमा/समायोजन योग्य राशि	**<u>जमा/भुगतान योग्य राशि का विवरण</u>** 01. कर्मचारी का अंशदान.. 02. राजकीय अंशदान... 03. प्रतिफल कुल कॉर्पस राशि.. **<u>समायोजन योग्य राशि</u>** CRA से प्राप्त कुल निधी... अधिकारी/कर्मचारी का अंशदान... अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पूर्व में आहरित राशि (NSDL से आहरित)... RPMF/RGHS की राशि .... कर्मचारी/दावेदार को देय अंशदान मय ब्याज... पेंशन विभाग को देय राशि (1–4)...
11	राजस्व मद में स्थानान्तरित राशि का विवरण	राजस्व मद में स्थानान्तरित राशि .... GRN नम्बर .... राशि स्थानान्तरण की दिनांक ....
12	विशेष टिप्पणी	....

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अधिकारी/कर्मचारी के एनपीएस की समस्त कटौतियों की जाँच एवम मिलान कर भुगतान कर दिया गया है तथा अब कोई राशि राज्य बीमा एवम प्रावधायी निधि विभाग के स्तर पर बकाया नहीं है।

संलग्नः– 1. गणना प्रपत्र (कॉलम न 10)

2. GRN की प्रति

दिनांक ....

सहायक/उप/संयुक्त निदेशक
राज्य बीमा एवम प्रावधयी निधि विभाग
..

<u>सहमति–पत्र</u>

(50 रू के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत किया जावे)

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... निवासी ....सेवानिवृत्ति के समय धारित पद .... विभाग का नाम .... स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) ....एम्प्लोई आईडी संख्या .... सेवानिवृत्ति दिनांक ....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि–

1. मैं पूर्व में राज्य सरकार द्वारा घोषित एनपीएस का अंशदाता था/थी। मैं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.05.2022 की पालना मे एनपीएस अंशदाताओ के लिए लागू ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत पेंशन लाभ लेना चाहता/चाहती हूँ।
2. मैं राज्य सरकार द्वारा NPS के स्थान पर OPS लागू किये जाने के फलस्वरूप अंशदाता द्वारा राजकोष में जमा करवाये जाने योग्य राशि के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गए दिशा–निर्देशों एवं नियमों के बारे में अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूॅं।
3. मैं राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19.05.2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार को देय राशि के शेष रहने पर सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाली ग्रेच्युटी एवम् शेष उपार्जित अवकाशों के नकदीकरण की राशि से समायोजन किए जाने की सहमति प्रदान करता/करती हूॅं।
4. मेरे द्वारा राज्य सरकार को देय राशि सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाली ग्रेच्युटी एवम् शेष उपार्जित अवकाशें के नकदीकरण राशि से समायोजन के पश्चात् भी यदि शेष रह जाती है तो मैं उक्त राशि राज कोष मे जमा करवाने की सहमति प्रदान करता/करती हूॅं।

स्थान.....................................

दिनांक.................................. **हस्ताक्षर सहमति प्रदाता**

<u>सत्यापन</u>

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... सशपथ सत्यापित करता/करती हूॅं कि मेरे द्वारा उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 4 मे दिए गए तथ्य सही एवं सत्य है एवम् मेरे द्वारा पूर्ण होशोहवास मे पढ़ एवम समझ कर हस्ताक्षरित किये गए है जो कि सही एवं सत्य है।

स्थान.....................................

दिनांक.................................. **हस्ताक्षर सहमति प्रदाता**